न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 29/2019

प्रार्थीगण–

1. सोहनलाल पुत्र जवाराम
2. कमलादेवी पत्नी सोहनलाल

जाति रेगर जटिया निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बिठूजा पंचायत समिति बालोतरा
2. ग्रामसेवक एवं ग्राम विकास अधिकारी बिठूजा पंचायत समिति बालोतरा
3. संतोषदेवी पत्नी भगवत लुहार जाति लुहार निवासी बिठूजा
4. रणछोड़ पुत्र जोगाराम लुहार निवासी बिठूजा
5. मांगीलाल पुत्र जोगाराम जाति लुहार निवासी बिठूजा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध संकल्प सं. 03 दिनांक 05.12.2010 एवं निरस्त करने पट्टा संख्या 06 मिसल संख्या 70/2010 जो ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3से5 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1व2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 19/02/2020

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत जसोल द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बिठूजा मे ग्राम पंचायत की आवासीय भूमि का पट्टा सं. 06 दिनांक 28.12.2010 ग्राम

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत के संकल्प सं. 03 दिनांक 05.12.2010 की अनुपालना में जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 175.42 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा जारी इस पट्टा विलेख की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बिठूजा का प्रश्नगत अभिलेख मंगाया गया। अप्रार्थी सं. 1व2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी सोहनलाल ने ग्राम बिठूजा की आबादी भूमि में स्थित आवासीय भूमि अपनी पत्नी प्रार्थी सं. 2 के नाम जरिये पंजिकृत विक्रय विलेख खरीद की, जिसका कुल क्षेत्रफल 5500 वर्गफीट हैं। प्रार्थी द्वारा खरीद किये गये उक्त भूखण्ड पर कब्जा व रहवास प्रार्थीगण है तथा इसके पश्चिम भाग में रास्ते से लगते भू–भाग पर पक्का निर्माण करवाया तथा शेष हिस्सा खुले बाड़े के रूप में छोड़ा जहां प्रार्थीगण के पशु इत्यादि खड़े रहते हैं एवं जलाउ लकड़ियां डाली जाती हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि के खुले भाग पर करीब 945 वर्गफीट की भूमि पर कब्जा कर दिया, तब प्रार्थी ने ऐतराज किया तथा प्रकट किया कि मौके पर खुली पड़ी भूमि उसकी खरीदशुदा हैं जिसके बारे में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी जारी किया गया हैं अर्थात् अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीगण का स्वामित्व स्वीकार किया हैं। उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अप्रार्थी सं. 1 ने गैर कानूनी तरीके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से अप्रार्थी सं. 3 के हक में पट्टा संख्या 06 दिनांक 28.12.2010 को जारी कर दिया, जो निरस्त योग्य हैं।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नियम 157(1) के तहत आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो कि 50 वर्षों से पुराने रहवास व कब्जा होने पर जारी किया जाता हैं जबकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 3 का पुराना कब्जा व रहवास कभी नहीं रहा हैं, क्योंकि वह विवाहिता पुत्रवधु हैं जिसकी आयु 25 वर्ष हैं। अप्रार्थी सं. 3 का ससुराल में रहवास 07 वर्ष से पूर्व का नहीं रहा हैं तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 उसके ससुर हैं जिनका रहवास पड़ौस में है, जिसका पट्टा में उल्लेख किया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने गलत तरीके से बिना किसी जांच के मिलावटी तरीके से संकल्प सं. 3 के जरिये आलौच्य पट्टा सं. 06 मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होने एवं उनके हक में पंजिकृत विक्रय विलेख मौजूद रहते हुए भी जारी किया हैं जो निरस्त योग्य हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा निरस्त कर खारिज फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 3से5 के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष अप्रार्थी सं. 3 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बिठूजा की आबादी भूमि में अपने पारिवारिक स्वामित्व व आधिपत्य के भूखण्ड एवं रहवासीय परिसर का पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के आवेदन पत्र पर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
अजमेर

अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं और न ही प्रार्थीगण ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में कहीं भी किसी प्रकार की अवैधता को उजागर किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख वर्ष 2010 में जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध करीब 09 वर्ष पश्चात यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा इसके संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं और न ही विलम्ब का कारण प्रकट किया हैं कि उन्हे आलौच्य पट्टे की जानकारी किस प्रकार हुई हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह प्रकट हों कि विवादित भूखण्ड व परिसर में उनका कब्जा व आधिपत्य रहा हैं। अप्रार्थी सं. 3 विवाहित हैं जो अपने ससुराल में निवास करती हैं तथा परिवार के पुराने अधिपत्य एवं कब्जे के भूखण्ड का पट्टा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम जारी किया जा सकता हैं, जिसके लिये कोई बाध्यकारी अवरोध नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा इसी भूखण्ड को लेकर एक सिविल वाद भी सिविल न्यायालय बालोतरा में प्रस्तुत किया गया हैं जो वर्तमान में विचाराधीन हैं, ऐसे में कब्जे एवं स्वामित्व के विवाद का निस्तारण सिविल न्यायालय के नियमित वाद के द्वारा ही कराया जा सकेगा। ग्राम पंचायत बिठूजा द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र में धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1997 के किसी भी पहलु पर आलौच्य पट्टा हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा आलौच्य पट्टा यथावत बहाल रखा जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 3 के नाम जो पट्टा जारी किया गया हैं वह 50 वर्षों के पुराने रहवास व कब्जे के आधार पर किया गया हैं जबकि वह विवाहिता पुत्रवधु हैं जिसका रहवास

पिछले 07 वर्षों से अधिक नहीं हैं। इस संबंध में नियम 157(1) में यह प्रावधान किया गया हैं कि भूखण्डों पर 50 वर्षों से अधिक पुराना रहवास व कब्जा होना जांच का विषय हैं तथा ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा इस पर अप्रार्थी सं. 3 के परिवार का पुराना कब्जा होना पाया है तथा पट्टा हेतु आवेदन परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकट इस तथ्य अनुसार कोई अनियमितता अथवा अवैधता साबित नहीं होती हैं। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 का कथन हैं कि प्रार्थीगण द्वारा इसी भूखण्ड को लेकर सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हैं जो विचाराधीन हैं ऐसे में यदि प्रार्थीगण विवादित भूखण्ड पर अपना हक–स्वामित्व होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में साक्ष्य सबूतों के साथ चाराजोही कर भूखण्ड का स्वामित्व अपने पक्ष में घोषित कराना चाहिए। इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है तथा यह एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमें पक्षकारान के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर